

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख) राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : एफ 15(7)2024 / गोप्र / प्रमुवसं-08974 / 3493-3519

दिनांक : 19/03/2024

निमित्त

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक/कार्य आयोजना एवं वन बन्दोबस्त/ट्री, राजस्थान, जयपुर।
2. परियोजना निदेशक, RFBP-2/RFBDP, राजस्थान, जयपुर।
3. अति.प्रधान मुख्य वन संरक्षक एन.टी.एफ.पी./अरावली वृक्षारोपण परियोजना, राजस्थान, जयपुर/ प्रबंध निदेशक, राजस्थान राज्य विकास निगम लिमिटेड, जयपुर।
4. उप वन संरक्षक एवं प्रावैधिक सहायक, प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राज. जयपुर।
5. निदेशक, राजस्थान वानिकी एवं वन्यजीव प्रशिक्षण संस्थान, जयपुर/मुख्य वन संरक्षक, विभागीय कार्य, जयपुर।
6. मुख्य वन संरक्षक, जयपुर/अजमेर/कोटा/उदयपुर/जोधपुर/बीकानेर/भरतपुर।
7. मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव), जयपुर/(वन्यजीव) जोधपुर/(वन्यजीव) उदयपुर।
8. मुख्य वन संरक्षक एवं क्षेत्र निदेशक, रणथम्भौर (सवाईमाधोपुर)/सरिस्का अलवर)/मुकन्दरा (कोटा)।
9. मुख्य वन संरक्षक, वनवर्धन, जयपुर/आर.वी.पी, कोटा/एफ.पी.आर.पी, जयपुर।

विषय :- वर्ष 2023-24 में वाहन चालक पद पर पदोन्नति के संबंध में सूचना प्रेषित करने बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत वर्ष 2023-24 की चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी/टेक्नर गार्ड से वाहन चालक के पद पर पदोन्नति दिए जाने हेतु विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित की जानी है। राजस्थान वन अधिनस्थ सेवा नियम, 2015 के अन्तर्गत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी/टेक्नर गार्ड से वाहन चालक के पद पर पदोन्नति दिए जाने हेतु पात्रता निम्नानुसार है :-

VIII Class pass of a recognized school with at least three years old heavy and light duty driving licences and must possess 3 year's experience of driving either heavy or light vehicles and must also possess the following:

- (i) Sight 6x6 with or without glasses.
- (ii) Knowledge of roadside repairs & efficiency in driving to be examined through a trade test.

अतः वाहन चालक के पद पर हेतु पात्रता रखने वाले दिनांक 01.04.2023 को कार्यरत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी/टेक्नर गार्ड की कम संख्या 1 से 4 पर अंकित कार्यालय स्वयं की एवं कम संख्या 6 से 10 पर अंकित कार्यालय स्वयं एवं अपने अधीनस्थ समस्त कार्यालयों की संकलित निम्न सूचनायें इस कार्यालय को 7 दिवस में भिजवाने सुनिश्चित करें :-

1. निर्धारित प्रपत्र (अ) में वांछित सूचना।
2. 01 जनवरी 2023 का अचल संपत्ति का विवरण (IPR)।
3. ड्राइविंग लाईसेंस की प्रमाणित प्रति।
4. वाहन चलाने का तीन वर्ष का अनुभव प्रमाण-पत्र।
5. नोन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर संतान संबंधी शपथ पत्र।

भवदीय,

(अरिजीत बनर्जी)

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशासन)
राजस्थान जयपुर

RajKaj Ref
6207438

कार्यालय का पता- कमरा नं. ए-414 अरण्य भवन, झालाना संस्थानिक क्षेत्र, जयपुर-302004

फोन नं. 0141-2713821 Email id dcfnz.estt.forest@rajasthan.gov.in

वेब साईट www.forest.rajasthan.gov.in

क्रमांक : एफ 15(7)2024 / गोप्र / प्रमुवसं-08974 / 3520-3602 दिनांक : 19/03/2024
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. समस्त उप वन संरक्षक / कार्य आयोजना अधिकारी / वन बन्दोबस्त अधिकारी / भू-संरक्षण अधिकारी को भेजकर लेख है कि उपर दिये गये निर्देशों के अनुसार सूचना अपने नियंत्रण अधिकारी को निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत करें। पत्र की प्रति इस कार्यालय को प्रेषित नहीं करें।
2. उप वन संरक्षक, सूचना एवं प्रौद्योगिकी को विभागीय वेबसाईट पर प्रकाशन करने हेतु।

(बृज मोहन गुप्ता)
उप वन संरक्षक (अराजपत्रित)
कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक
राजस्थान, जयपुर

RajKaj Ref
6207438

कार्यालय का पता- कमरा नं. ए-414 अरण्य भवन, झालाना संस्थानिक क्षेत्र, जयपुर-302004
फोन नं. 0141-2713821 Email id dcfnz.estt.forest@rajasthan.gov.in
वेब साईट www.forest.rajasthan.gov.in

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख) राजस्थान, जयपुर

प्रपत्र (अ)

1	नाम कर्मचारी एवं पिता का नाम	पद	वर्ग	जन्म तिथि	नियुक्ति तिथि		योग्यता		सीसीए नियम 1958 के तहत लम्बि विभागीय जॉइंट/भ्र.नि. व्यूरी में लम्बित केस/लम्बित कोर्ट केस का विस्तृत विवरण (आरोप पत्र जारी करने के आदेश क्रमांक व दिनांक)	दिनांक 31.03.2016 के बाद दिये गये दण्ड का विवरण	जिवित संतानों की संख्या (संबंधित कार्मिक से नोन ज्युडिशियल स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र प्राप्त कर संलग्न करें)		01 जनवरी 2023 का अचल संपत्ति का विवरण (IPR)	विशेष विवरण
					राज्य सेवा में	संवर्ग में	शैक्षणिक	तकनीकी			31.05.2002 को	31.05.2002 के बाद उत्पन्न हुई संतान		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

नोट:- 1. कॉलम संख्या 8 एवं 9 हेतु मूल प्रमाण-पत्र से उप वन संरक्षकगण प्रमाणित कर प्रेषित करें।

2. कॉलम संख्या 10 हेतु आरोप-पत्र एवं 11 हेतु दिये गये दण्ड के संबंधित दस्तावेज उप वन संरक्षकगण प्रमाणित कर प्रेषित करें एवं यह भी अंकित करें कि दण्ड (कॉलम संख्या 11) किस आरोप पत्र व दिनांक के लिये दिया गया है।

हस्ताक्षर सक्षम अधिकारी

RajKaj Ref
6207438

कार्यालय का पता- कमरा नं. ए-414 अरण्य भवन, झालाना संस्थानिक क्षेत्र, जयपुर-302004

फोन नं. 0141-2713821 Email id dcfnz.estt.forest@rajasthan.gov.in

वेब साईट www.forest.rajasthan.gov.in

Document certified by ARIJIT
BANERJEE <aniban@gmail.com>.

Digitally Signed by ARIJIT
BANERJEE
Designation: Principal Chief
Conservator of Forest
Date :19-03-2024 12:40:04